जय किसान फसल ऋण माफी योजना

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश , विशेष बैठक दिनांक 09 फरवरी 2019

विषय सूची

क्र. स.	कार्य सूची	पृष्ठ क्र.
1	योजना का स्वरुप ▪ योजना हेतु पात्रता एवं अपात्रता ▪ आधार नंबर की अनिवार्यता ▪ राशि का भुगतान ▪ क्रियान्वयन हेतु पोर्टल ▪ योजना का क्रियान्वयन, चरण-1, 2, 3, 4 एवं 5	**2-4**
2	अधतन स्थिति ▪ मध्य प्रदेश में राजस्व खातों तथा प्रति खाता कृषि भूमि ▪ अल्पकालीन फसल ऋण खातों की जानकारी ▪ Slab wise अल्पकालीन फसल ऋण खातों (Standard) की जानकारी ▪ Slab wise अल्पकालीन फसल ऋण खातों (NPA) की जानकारी	**5-6**
3	योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित समय सीमा	**7**
4	बैंकों की भूमिका	**8**
5	राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित एक मुश्त समझौता योजना के महत्वपूर्ण बिंदु	**9**
6	राज्य शासन से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की मांग	**10**
	अनुलग्नक (Annexures)	
i.	प्रस्तावित एक मुश्त समझौता योजना	**11-18**
ii.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन का फसल ऋण माफी आदेश दिनांक 17.12.2018	**19**
iii.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन का विस्तृत आदेश दिनांक 07.01.2019	**20-30**
iv.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन का आदेश दिनांक 08.01.2019 (क्रियान्वयन हेतु समय सीमा)	**31-35**
v.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन आदेश दिनांक 15.01.2019 (योजना का नाम परिवर्तन)	**36**
vi.	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)	**37-44**
vii.	सी.बी.एस. पर log-in हेतु एम्.पी.ऑनलाइन पोर्टल का whitelisting, संस्थागत वित्त, म.प्र. शासन का पत्र दिनांक 28 जनवरी 2019	**45-46**
viii.	बैंक वार फसल ऋण खातों की जानकारी	**47-49**

एजेंडा क्रमांक- 1
योजना का स्वरुप

मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु विस्तृत विभागीय आदेश दिनांक 07 जनवरी 2019 को जारी किये. योजनातर्गत **सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक** से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को **दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया ऋण अधिकतम रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख)** तक पात्रतानुसार माफ करने का निर्णय लिया गया है.

<table>
<tr><th colspan="2">योजना हेतु पात्रता</th></tr>
<tr><th>पात्र किसान</th><th>पात्र ऋण खातें</th></tr>
<tr><td>■ मध्य प्रदेश का निवासी
■ कृषि भूमि मध्य प्रदेश में स्थित हो
■ मध्यप्रदेश स्थित बैंक शाखा अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण लिया गया हो</td><td>■ सभी स्टैण्डर्ड खातें (दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में तथा 12.12.2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से ऋण जमा कर दिया है)
■ सभी एन.पी.ए. अथवा कालातीत खातें (ऐसे ऋण 01 अप्रैल 2007 अथवा उसके उपरांत स्वीकृत किया गया हो)
■ रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनर्रचना कर दिए गए खातें</td></tr>
<tr><th colspan="2">योजना हेतु अपात्रता</th></tr>
<tr><th>अपात्र कृषक (वर्तमान/भूतपूर्व)</th><th>अपात्र खातें</th></tr>
<tr><td>■ समस्त आयकरदाता
■ माननीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मंडल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
■ भारत तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी तथा इनके निगम/मंडल/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ क्षेणी कर्मचारियों को छोड़कर)
■ रूपये 15,000/- प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर)
■ GST में दिनांक 12 दिसंबर 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/फ़र्म/ फ़र्म के संचालक/ फ़र्म के भागीदार</td><td>■ कंपनियों या अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रत्याभूत ऋण, जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो.
■ किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण
■ फार्मर प्रोडयूसर कंपनी अथवा फार्मर प्रोडयूसर संस्था द्वारा लिया गया फसल ऋण
■ सोना गिरवी रखकर दिया गया फसल ऋण</td></tr>
</table>

आधार नंबर की अनिवार्यता - योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों को फसल ऋण खाते में या उस खाते के सी.आई.एफ (Customer Identification File) में आधार नंबर सीडिंग एवं प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक है. बैंक द्वारा ऐसे किसानों को चिन्हित कर आधार सीडिंग एवं अभिप्रमाणन किया जाये.

राशि का भुगतान- राज्य शासन द्वारा कृषकों के फसल ऋण खातें में योजन्तार्गत पात्रतानुसार राशि NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से जमा कराई जायेगी. लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जावेगी. उपरोक्त प्राथमिकता में बैंकों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा.

1) सहकारी बैंक
2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3) राष्ट्रीकृत बैंक

क्रियान्वयन हेतु पोर्टल- योजनान्तर्गत क्रियान्वयन की सारी प्रक्रिया एम्.पी.ऑनलाइन द्वारा बनाये गए पोर्टल https://cmlws.mponline.gov.in के माध्यम से सम्पन्न किया जाना है.

योजना का क्रियान्वयन, चरण-1 (बैंकों से डाटा प्राप्त कर एम्.पी.ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से हरे एवं सफेद सूची का चस्पा)

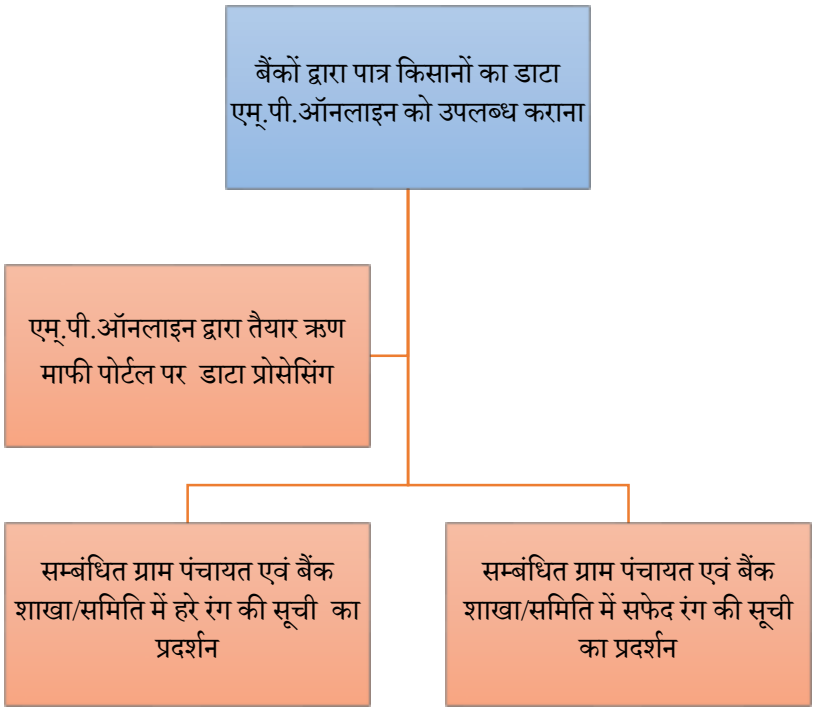

हरे रंग की सूची से अभिप्राय - आधार अभिप्रमाणित खातें
सफेद रंग की सूची से अभिप्राय - गैर आधार अभिप्रमाणित खातें
गुलाबी रंग की सूची से अभिप्राय - हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी अथवा सूची में नाम नहीं होने पर आपत्ति

योजना का क्रियान्वयन, चरण-2 (किसानों से हरे,सफेद एवं गुलाबी आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किया जाना)

- हरे रंग की प्रदर्शित सूची (आधार अभिप्रमाणित खातें) के किसानों से हरा आवेदनपत्र, सफेद रंग की प्रदर्शित सूची (गैर आधार अभिप्रमाणित खातें) के किसानों से सफेद आवेदनपत्र ग्राम पंचायत में ऑफ लाइन प्राप्त.
- हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान को है. यदि किसान इस सूची में प्रदर्शित जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो उसे गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा.
- आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 05.02.2019 है.

योजना का क्रियान्वयन, चरण-3 (किसानों से प्राप्त आवेदन की जानकारी पोर्टल पर भरा जाना)

- किसानों से प्राप्त हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्र की डाटा इंट्री का काम जिला प्रशासन द्वारा पोर्टल पर किया जाना.
- अपलोड होने के बाद sms द्वारा किसान को जानकारी भेजना.

योजना का क्रियान्वयन, चरण-4 (बैंक शाखा/समिति द्वारा ऋण खाते की जानकारी का सत्यापन)

- किसानों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र बैंकों को ऑनलाइन accessible होगी. सभी बैंक शाखाओं को login ID दिया गया है.
- शाखा को कृषक के ऋण की राशि, आधार नंबर, एन.पी.ए. तथा ऋण स्वीकृति दिनांक आदि की जानकारी की जाँच कर पोर्टल के माध्यम से अपना दावा ऑनलाइन जिला कलेक्टर को भेजनी होगी.
- यदि किसान द्वारा एक से अधिक बैंक शाखा/समिति से फसल ऋण लिया गया है तथा हरा/सफेद/गुलाबी फॉर्म नहीं भरा है तो बैंक द्वारा ऐसे खाते के लिए ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करने हेतु पोर्टल दिनांक 10.02.2019 को खोला जायेगा तथा दिनांक 14.02.2019 की मध्य रात्रि को बंद होगा.
- बैंक शाखा/समिति चार दिनों के अंदर पोर्टल पर प्रावधिक दावा पर आपत्ति दर्ज करेगी.

योजना का क्रियान्वयन, चरण-5 (खाते में राशि का भुगतान)

- किसान के ऋण खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से राशि जिला स्तर पर जमा कराया जाना.
- किसान को भुगतान का sms भेजा जाना.
- किसान सम्मान पत्र/ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण किया जाना.
- लाभान्वित किसानों की सूची बैंक शाखा/ग्राम पंचायत में चस्पा किया जाना.

विस्तृत जानकारी पृष्ठ क्रमांक 20-30 पर

एजेंडा क्रमांक- 2

मध्य प्रदेश में राजस्व खातों तथा प्रति खाता कृषि भूमि

कृषक प्रकार	कुल कृषि खाते (2015-16)	कुल कृषि क्षेत्र(2015-16)
सीमांत किसान (< 1 Ha)	48.35 लाख	23.72 लाख हे.
लघु किसान (1-2 Ha)	27.25 लाख	38.36 लाख हे.
छोटे किसान (2-4 Ha)	16.74 लाख	45.22 लाख हे.
मध्यम किसान (4-10 Ha)	7.07 लाख	40.08 लाख हे.
बड़े किसान (> 10 Ha)	0.63 लाख	9.33 लाख हे.
योग	**100.04** लाख	**156.71** लाख हे.
75% लघु एवं सीमांत ऑपरेशनल होल्डिंग्स = 39% कृषि क्षेत्र शेष 25% ऑपरेशनल होल्डिंग्स = 61% कृषि क्षेत्र		

अल्पकालीन फसल ऋण खातों की जानकारी

दिनांक 31.03.2018 नंबर लाखों में एवं राशि करोड़ में

बैंक	स्टैण्डर्ड खाते		एन.पी.ए. खाते		कुल खाते		आधार अभिप्रमाणित खाते		
	नंबर	राशि	नंबर	राशि	नंबर	राशि	नंबर	राशि	नंबर %
राष्ट्रीकृत बैंक	15.73	31720	2.11	3711	17.84	35431	6.34	13562	36%
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.27	5987	0.83	980	5.10	6967	0.74	1116	15%
सहकारी बैंक*	15.24	8474	16.9	9141	32.14	17615	22.50	13222	70%
कुल	**35.24**	**46181**	**19.84**	**13832**	**55.08**	**60013**	**29.58**	**27900**	54%

*आधार सीडेड खाते

बैंक वार जानकारी पृष्ठ क्रमांक 47 पर उपलब्ध

Slab wise अल्पकालीन फसल ऋण खातों (Standard) की जानकारी

दिनांक 31.03.2018 नंबर लाखों में एवं राशि करोड़ में

बैंक	1-10000		10001-50000		50001-1 लाख		100001-2 लाख		2 लाख से ज्यादा		कुल	
	न.	राशि	न.	राशि	न.	राशि	न.	राशि	न.	राशि	न.	राशि
राष्ट्रीकृत बैंक	0.64	13	1.06	363	2.79	2107	5.04	7316	6.20	21921	15.73	31720
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.21	5	0.78	252	1.07	784	1.22	1732	0.99	3215	4.27	5987
सहकारी बैंक	2.67	130	6.82	1834	3.20	2258	1.89	2596	0.67	1656	15.24	8474
कुल	**3.51**	**148**	**8.66**	**2450**	**7.06**	**5149**	**8.15**	**11644**	**7.86**	**26792**	**35.24**	**46182**

दो लाख रूपये तक बकाया कुल ऋण खातो (स्टैण्डर्ड) की संख्या- 27.38 लाख एवं राशि 19,390 करोड़

Slab wise अल्पकालीन फसल ऋण खातों (NPA) की जानकारी

दिनांक 31.03.2018 नंबर लाखों में एवं राशि करोड़ में

बैंक	1-10000		10001-50000		50001-1 लाख		100001-2 लाख		2 लाख से ज्यादा		कुल	
	न.	राशि	न.	राशि	न.	राशि	न.	राशि	न.	राशि	न.	राशि
राष्ट्रीकृत बैंक	0.09	3	0.31	101	0.48	354	0.58	830	0.65	2423	2.12	3711
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.02	1	0.18	58	0.28	209	0.22	308	0.12	404	0.83	980
सहकारी बैंक	3.21	165	7.72	2045	3.39	2396	1.94	2684	0.65	1851	16.91	9141
कुल	**3.33**	**168**	**8.21**	**2204**	**4.15**	**2960**	**2.74**	**3821**	**1.42**	**4678**	**19.85**	**13832**

दो लाख रूपये तक बकाया कुल ऋण खातो (एन.पी.ए.) की संख्या- 18.43 लाख एवं राशि 9,154 करोड़

बैंक वार जानकारी पृष्ठ क्रमांक 48-49 पर उपलब्ध

एजेंडा क्रमांक- 3

योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित समय सीमा

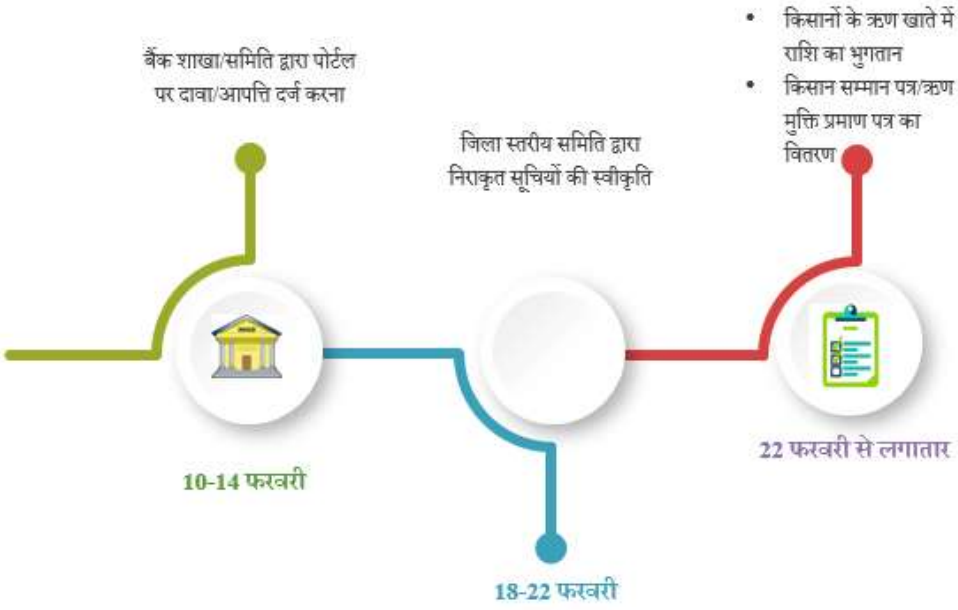

एजेंडा क्रमांक- 4
बैंकों की भूमिका

1. ग्राम पंचायत एवं बैंक शाखाओं/समितिओं में हरे तथा सफेद सूची चस्पा करने हेतु आकड़े बैंकों द्वारा एम्.पी. ऑनलाइन को उपलब्ध कराई जा चुकी है.

2. गैर आधार सीडिंग/अभिप्रमाणीकरण वाले फसल ऋण खाते में किसानों के आवेदन अनुसार आधार सीडिंग एवं अभिप्रमाणन करना.

3. एम्.पी. ऑनलाइन द्वारा सभी राष्ट्रीकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंक की शाखाओं को यूजर आई.डी. दिया गया है. शाखाओं द्वारा पोर्टल https://cmlws.mponline.gov.in पर log-in करना.

4. बैंकों के सी.बी.एस. में एम्.पी. ऑनलाइन के यू.आर.एल www.cmlws.mponline.gov.in एवं www.mponline.gov.in का whitelisting कराया जाना ताकि शाखाएं intranet के माध्यम से पोर्टल पर log-in कर सके.

5. कृषकों द्वारा भरे गए आवेदन पश्चात पोर्टल पर डाटा पंचिग किये गए जानकारी जैसे ऋण की राशि, आधार नंबर, एन.पी. ए. दिनांक, ऋण स्वीकृत दिनांक आदि का सत्यापन बैंक शाखा/समिति द्वारा किया जाना.

6. शाखा द्वारा पोर्टल के माध्यम से खातेवार दावा जिला कलेक्टर से करना.

7. एन.पी.ए. खातों में एक मुश्त समझौता योजना के तहत कार्यवाही करना.

एजेंडा क्रमांक- 5
प्रस्तावित एक मुश्त समझौता योजना, म.प्र. शासन- महत्वपूर्ण बिंदु

राज्य शासन ने 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' योजनान्तर्गत पात्र एन.पी.ए./बट्टाकृत खातों के settlement हेतु एक मुश्त समझौता योजना (One Time Settlement Scheme) का प्रस्ताव सभी बैंकों के केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित किया है. योजना के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है-

प्रस्ताव-1

- सभी एन.पी.ए. खातों को अलग-अलग श्रेणीयों जैसे Sub-standard, Douubtful-1/2/3, Loss/Written off में न रखते हुए सभी एन.पी.ए. खातों पर बैंकों द्वारा 60% sacrifice करना.

प्रस्ताव-2

- एन.पी.ए. खातों को अलग-अलग श्रेणीयों जैसे Sub-standard, Douubtful-1/2/3, Loss/Written off के आधार पर निम्नलिखित sacrifice करना.

श्रेणी	बैंकों द्वारा Sacrifice का प्रतिशत	राज्य शासन द्वारा देय राशि का प्रतिशत
Sub-standard Assets: Secured/Unsecured	25%	75%
Doubtful Assets: Secured/Unsecured-upto 3 years	40%	60%
Doubtful Assets: Secured/Unsecured-more than 3 years, Loss Assets & Written off Accounts	90%	10%

अन्य शर्तें-

- खाते के एन.पी.ए. होने के बाद उसपर लगने वाले Unrealized Interest तथा अन्य प्रभार को बैंक द्वारा माफ किया जाना.
- दो लाख रूपये बकाया वाले खाते में समझौता होने पर राज्य शासन 25% राशि जमा करेगी. शेष 75% राशि तीन बराबर किश्तों में 31 मार्च 2020 तक बिना ब्याज के बैंकों को दी जायेगी.
- दो लाख रूपये से अधिक के एन.पी.ए. खातों में दो लाख रूपये से ऊपर की राशि पर गणना पश्चात OTS राशि को किसान द्वारा दिनांक 30 जून 2019 तक बैंकों में जमा करना होगा. किसान द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर समझौता नहीं हो सकेगा साथ ही सम्बंधित किसान को ऋण मांफी योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
- 31 मार्च 2018 के बाद यदि किसी किसान द्वारा दिनांक 12.12.2018 तक राशि जमा की गई है तो उतनी राशि को काटकर शेष बची राशि पर OTS की गणना की जायेगी.
- संपूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत बैंक शाखा द्वारा किसान को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र (अन्य ऋण खाते स्टैण्डर्ड होने की दशा में) जारी किया जाना.

विस्तृत योजना पृष्ठ क्रमांक 11-18 पर

एजेंडा क्रमांक- 6
राज्य शासन से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की मांग

राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसानों के अल्पकालीन फसल ऋण दो लाख रूपये तक माफ किये गए हैं. उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में ऐसा देखा जा रहा है कि किसानों द्वारा कृषि ऋण का पुनर्भुगतान लगभग बंद कर दिया गया है. एक ओर जहाँ, एन.पी.ए./अतिदेय खातों में वसूली नहीं हो पा रही है तो दूसरी ओर स्टैण्डर्ड खातों का भी नियमित संचालन किसान द्वारा नहीं किया जा रहा है. किसान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे खाते का संचालन नियमित रखें ताकि इससे जुड़े कई फायदे उन्हें प्राप्त हों. खाते का नियमित संचालन नहीं करने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे.

1. किसान को नियमित भुगतान पर 3.00 लाख की सीमा तक मिलने वाले Interest Subvention (2% सीधे बैंक को + 3% अतिरिक्त=5%) का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होंगे. नियमित भुगतान करने पर कृषक को सिर्फ 4% सालाना ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण बैंक से प्राप्त होता है. राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों में 35.24 लाख (स्टैडर्ड खाते) किसानों के 46,181 करोड़ रूपये दिनांक 31 मार्च 2018 तक बकाया थे. 3% अतिरिक्त ब्याज का लाभ नहीं मिलने पर किसानों को 1385 करोड़ रूपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है.

2. किसानों के CIBIL रिकॉर्ड खराब होंगे जिससे उन्हें किसी भी वित्तीय संस्थानों से कर्ज नहीं मिल सकेगा.

3. बैंकों के एन.पी.ए. में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिससे बैंकों को नया कर्ज देने में कठिनाई हो सकती है.

अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि वे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसानों को यह बताये कि खाते का नियमित संचालन रखने पर ऋण माफी की राशि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथ ही नियमित भुगतान करने पर उन्हें उपरोक्त कई लाभ प्राप्त होंगे.

Annexure- 1

Proposed One-Time Settlement Scheme under the Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana

1. Background

The Government of Madhya Pradesh (GoMP) has launched a yojana titled "**Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana**" (Yojana, henceforth) vide order no. D-17/16/2018/14-3 dated 7th January, 2019 for providing financial assistance for eligible loans up to Rs. 2.00 lakh to eligible farmers. The Yojana provides for giving incentive to the farmers with performing assets and giving one-time settlement of NPA/overdue. The Yojana also provides for framing a scheme for one-time settlement of NPA/overdue loans in consultation with banks. This paper presents a draft scheme, called "One Time Settlement (OTS) Scheme" (Scheme, henceforth), for settlement of eligible NPA/overdue loans.

2. Eligibility Norms

2.1 Eligible Farmers

2.1.1 Farmers who are eligible under "Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana" (earlier known as "Mukhya Mantri Fasal Rin Mafi Yojana") as per order no. D-17/16/2018/14-3 dated 7th January, 2019 and subsequent amendments/clarifications issued by GoMP. A list of circulars issued by GoMP until now is placed at Annex-I.

2.2 Eligible Loans

2.2.1 Eligible loans under the Scheme would cover Short-Term Crop Production Credit Loan ("Crop Loan", henceforth). Loan accounts restructured from Short term crop production credit to medium term loan on account of natural calamities as per RBI/NABARD guidelines would also be covered.

2.2.2 All NPA Accounts which were classified as Sub-standard Assets, Doubtful Assets, Loss Assets, or Written Off Assets as on 31st March, 2018 as per extant guidelines

of the Reserve Bank of India by Public Sector Banks and Regional Rural Banks. Such account should also be classified as NPA as on 12th December, 2018.[1]

2.2.3 All Overdue accounts classified as such by the District Cooperative Central Banks (DCCBs)/Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS) as on 31st March, 2018 as per extant guidelines of the NABARD. Such accounts should also be classified as overdue as on 12th December, 2018.[1]

2.2.4 The loan account should have been sanctioned on or after 01.04.2007 by a Public Sector Bank, Regional Rural Bank, District Cooperative Central Bank/Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS). These lending institutions are referred to as "Bank(s)" henceforth in the scheme.

2.2.5 Such loan accounts where the banks have initiated action for recovery of dues by filing Revenue Recovery Certificate (RRC) before revenue authorities, or by approaching Courts/Tribunals, will also be eligible under the scheme, subject to the withdrawal of RRC or a consent decree being obtained from the Court/Tribunal.

2.3 Non-eligible Individuals

2.3.1 The following Present or Past Public Representatives/Functionaries:-

- Member of Parliament,
- Member of Legislative Assembly,
- President of Jila Panchayat,
- Mayor/Chairperson of Nagar Palika Nigam/Nagar Palika Parishad/Nagar Panchayat,
- Chairperson of Mandi Samiti
- Chairperson of Cooperative Bank,
- Chairperson/Vice Chairperson of a Corporation/Mandal/Board constituted by the Central/State Government.

[1] If an NPA/Overdue account, as on 31st March, 2018, becomes performing/regular account, as on 12th December, 2018, it shall be covered under separate component of the Yojana.

2.3.2 Income tax payees. The individual should not have accrued any liability of income tax during the last 3 years (FY 2017-18, 2016-17 and 2015-16), and should not have paid/deposited any income tax during these 3 years.

2.3.3 The following Present or past Government officers/employees (excluding class IV employees):-

- Employed by the Central/State Government.
- Employed by a Corporation/Board/Semi-Government Organization constituted/controlled by the Central/State Government.

2.3.4 Any Person, or Firm, or Director of a Firm, or Partner in a Firm who/which has a GST registration, as on or before 12th December, 2018.

2.3.5 Any person who receives a pension of Rs. 15,000/- per month or more (excluding ex-army personnel).

2.4 Non-eligible Loans

2.4.1 Cases of willful default, fraud, or malfeasance.

2.4.2 Loans guaranteed by any Company/Corporate Organization.

2.4.3 Loan taken by any Group of Farmers, Farmers Producer Company or Farmers Producer Organization (FPO).

2.4.4 Loan taken against security of gold.

3. Validity of the scheme

3.1 This Scheme shall be valid upto 31st March, 2020 unless extended with the mutual consent of both parties (i.e. GoMP and the concerned bank).

4. Criteria for classification of advances as per RBI and **Norms prescribed by RBI for provisions** to be made by banks for NPAs are placed in Annex-II.

5. Settlement formula

5.1 The term 'outstanding loan amount' will denote the ledger balance, that is the outstanding principal amount in the account. This shall not include any interest/penal interest/charges etc. levied/charged after the account was classified as NPA.

5.2 The 'OTS outstanding loan amount' shall denote the minimum of the outstanding loan amount on these dates: the date the account was classified as NPA, 31st March, 2018, and 12th Dec, 2018.

5.3 GoMP will settle all categories of NPA accounts by discounting the OTS outstanding loan amount @60%. Hence, net 40% would be payable to the bank.

6. Repayment

6.1 In cases where 'OTS outstanding loan amount' does not exceed Rs 2.00 lakh, the entire amount calculated as per the formula stated in paragraph 5 above would be provided by GoMP by crediting it to the borrower's loan account. No contribution is required from the farmer. Example-I placed at Annex-III may be seen.

6.2 In cases where 'OTS outstanding loan amount' exceeds Rs 2.00 lakh, the OTS settlement amount will be calculated as per the formula stated in paragraph 5 above. The contribution of GoMP will be limited to the OTS settlement amount on a notional outstanding loan amount of Rs 2.00 lakhs. Therefore, the contribution of GoMP and the farmer will be calculated pro-rata.

For the issuance of a no-dues certificate by the bank it is desirable that contributions of both GoMP and the farmer are made expeditiously. **The farmer would pay his/her contribution by 30th June 2019.** GoMP shall make payment of its share soon after the farmer's contribution is deposited. Example-II placed at Annex-III may be seen.

6.3 If an account was classified as NPA/overdue on 31st March, 2018 and subsequently the same has been upgraded and classified as a Performing asset then such account would not be settled under this scheme. Such farmers would, however,

be eligible for financial assistance under the Yojana as is applicable for a performing asset account.

6.4 The bank shall make a claim for each eligible loan account to an officer authorized by the GoMP ('Authorized Officer', henceforth) under the Yojana and this Scheme. After approval by the Authorized Officer, GoMP would make a payment of 25% of the OTS amount, as per the calculation shown in para 6.1 or 6.2 (as applicable), to the bank. The balance 75% would be paid in 3 equal quarterly installments. GoMP will have the flexibility to make payments on an earlier date.

6.5 No interest/other charges shall be levied/charged by the bank during the period of OTS, i.e. from the date of acceptance of the scheme to the date of payment of last quarterly installment.

7 No-dues Certificate

7.1 The bank shall issue a certificate to farmers stating that their loan has been waived, as per the format prescribed by GoMP.

7.2 Upon settlement of dues under this scheme, the farmers will be eligible for fresh short-term production loan. Every farmer should ensure that all their loan accounts with banks are maintained under the performing asset/regular category, so that may become eligible for taking fresh loans from banks.

8 Other terms and conditions

8.1 Every bank shall be responsible for the correctness and integrity of the documents prepared under this scheme, in particular about the lists of farmers eligible under this Scheme and the particulars of the debt waiver or debt relief claimed in respect of each farmer.

8.2 Every document maintained, every list prepared and every certificate issued by a bank for the purposes of this Scheme shall bear the signature, name and designation of an officer authorized by the bank.

xxxxxx

Annex-I

Orders and circulars issued by Government of Madhya Pradesh for Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana

No.	Order/Circular No.	Date
1.	D-17/16/2018/14-3-Scheme	7th January, 2019
2.	D-17/16/2018/14-3: Schedule of activities	8th January, 2019
3.	D-17/16/2018/14-3: regarding FAQ	9th January, 2019
4.	D-17/16/2018/14-3: regarding pasting of lists	10th January, 2019
5.	D-17/16/2018/14-3: regarding change in the name of scheme	15th January, 2019

Annex-II

1. **RBI circular no. RBI/2017-18/131 dated 12-02-2018 categorizes Special Mention Account (SMA) as under:-**

Category	Basis for classification-Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue between
SMA-0	30 days
SMA-1	31-60 days
SMA-2	61-90 days

2. **RBI circular no. RBI/2015-16/101 dated 01-07-2015 categorizes Non-performing Assets (NPA) as under:-**

Category	Basis for classification-Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue between
Sub-Standard	upto 12 months
Doubtful-1	More than 12 months & upto 24 months
Doubtful-2	More than 24 months & upto 36 months
Loss Assets	More than 36 months
Overdue accounts (PACS)	As per classification prescribed by NABARD for Cooperative Banks/PACS (NABARD circular no. NB.DOR ST-Pol/2152/KCC.1/ 2017-18 dated 25th September, 2017)

3. **Norms prescribed by RBI for provisions to be made by a bank for PA/NPA accounts (As per circular no. RBI/2015-16/101 dated 1st July, 2015)**

No.	Category	% of provisioning Norms
1.	Standard Assets	0.25% of outstanding
2. (i)	Sub-Standard Assets (Secured)	15% of outstanding
2. (ii)	Sub-Standard Assets (Unsecured)	25% of outstanding
3. (i)	Doubtful Assets (Secured)- upto one year	25% of outstanding
3. (ii)	Doubtful Assets (Secured)- one to three years	40% of outstanding
3. (iii)	Doubtful Assets (Secured)- More than three year	100% of outstanding
3. (iv)	Doubtful Assets (Unsecured)	100% of outstanding
4.	Loss Assets	100% of outstanding
5.	Written Off Accounts	100% of outstanding
6.	Restructured Standard Assets	5% of outstanding

Annex-III

Example-1:

Particulars	Amount
Overdue amount on the date of classification as NPA	Rs. 1,50,000/-
Overdue amount as on 31st March, 2018	Rs. 1,50,000/-
Overdue amount as on 12th December, 2018	Rs. 1,50,000/-
OTS Outstanding Loan Amount= Minimum amount outstanding on the date of classification of NPA or 31st March, 2018 or 12th December, 2018	Rs. 1,50,000/-
Share of overdue loan for OTS by GoMP	Rs. 1,50,000/-
Share of overdue loan for OTS by the Farmer	Rs. 0/-
GoMP share payable to bank (as per para 5.3 and 6.1)	Rs. 60,000/-
Farmer's share payable to bank (as per para 6.1)	Rs. 0/-

Example-2:

Particulars	Amount
Overdue amount on the date of classification as NPA	Rs. 4,00,000/-
Overdue amount as on 31st March, 2018	Rs. 4,00,000/-
Amount deposited by farmer from 1st April, 2018 to 12th December, 2018	Rs. 50,000/-
Net overdue as on 12th December, 2018	Rs. 3,50,000/-
OTS Outstanding Loan Amount= Minimum amount outstanding on the date of classification of NPA or 31st March, 2018 or 12th December, 2018	Rs. 3,50,000/-
Total OTS amount payable to Bank	Rs. 1,40,000/-
Share of overdue loan for OTS by GoMP	Rs. 2,00,000/-
Share of overdue loan for OTS by the Farmer	Rs. 1,50,000/-
GoMP share payable to bank (as per para 5.3 and 6.2)	Rs. 80,000/-
Farmer's share payable to bank (as per para 6.2)	Rs. 60,000/-

Note: GoMP's share would be deposited after the payment of farmer’s contribution.

Annexure-2 (फसल ऋण माफी आदेश दिनांक 17.12.2018)

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाये गये किसानों के रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा तक का दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. राजेश राजोरा) I.A.S.
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ0कमांक डी 17–16/2018/14–3 भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
4. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
5. विकास आयुक्त, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।

Annexure -3 (विस्तृत आदेश दिनांक 07.01.2019)

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी, 2019

विषय:- प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु **"मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना"** के संबंध में ।

क्रमांक/डी-17/16/2018/14-3: कृषि क्षेत्र में विगत कई वर्षों से किसानों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसके फलस्वरूप कई किसान चाहते हुए भी बैंकों/समितियों से फसल ऋण प्राप्त करने के उपरांत नियमित भुगतान नहीं कर पाते हैं। कृषि क्षेत्र की ऋणग्रस्तता निवारण के लिए बैंकों द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाये जा सके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 05 दिनांक 05 जनवरी, 2019 अनुसार **मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना** निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है।

1. **योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा तक पात्रता अनुसार निम्नानुसार लाभ दिया जावेगा:-**

(अ) **दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किसान के नियमित ऋण खाते में ऋणप्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि (Regular Outstanding loan) के रूप में दर्ज है। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में Regular Outstanding loan था तथा दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जावेगा।**

(ब) **दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋणप्रदाता बैंकों के लिए Non Performing Asset (NPA)**

घोषित किया गया हो। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में NPA अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जावेगा।

2. **मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना हेतु परिभाषाएं:-**

2.1 **फसल ऋण:-**

भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा परिभाषित फसल की पैदावार के लिए ऋणप्रदाता संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला अल्पकालीन फसल ऋण।

2.2 **ऋणमान (Scale of Finance):-**

प्रत्येक हेक्टेयर फसल ऋण का निर्धारण, जो उक्त कृषि सीजन में, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निश्चित किया गया हो।

2.3 **ऋण प्रदाता संस्थाएं :-**

प्रदेश में कार्यरत एवं ऋण प्रदान करने वाली निम्न वित्तीय संस्थाएं एवं इनकी शाखायें स्कीम के क्रियान्वयन के लिए पात्र रहेंगी:-

(i) राष्ट्रीकृत बैंक

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(iii) सहकारी बैंक (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त फसल ऋण शामिल)।

2.4 **फसल ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र:-**

ऋण प्रदाता संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर से किसान को जारी किया जाने वाला समायोजित फसल ऋण खाता का ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र।

2.5 **किसान सम्मान पत्र:-**

नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को दिया जाने वाला सम्मान पत्र।

2.6 **गैर-निष्पादन आस्तियॉ (NPA) :-**

भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार मान्य परिभाषा।

2.7 **कालातीत ऋण :-**

नाबार्ड एवं सहकारिता विभाग के परिपत्रों द्वारा परिभाषित मापदण्ड अनुसार।

3. **योजना के लिए मापदण्ड:-**

3.1 मध्यप्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि मध्यप्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश स्थित ऋण प्रदाता संस्था की बैंक शाखा से अल्पकालीन फसल ऋण लिया गया हो, योजना हेतु पात्र होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण भी योजना में शामिल रहेंगे।

3.2 ऐसा किसान जिसके फसली ऋण को रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुर्नरचना (Restructuring) कर दी गई हो, योजना में पात्र होगा।

3.3 कंडिका 3.1 अथवा 3.2 में निम्न शामिल नहीं होंगे:-

3.3.1 कम्पनियों या अन्य कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रत्याभूत ऋण, जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो।

3.3.2 किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर संस्था (FPO) द्वारा लिया गया फसल ऋण।

3.3.3 सोना गिरवी रख प्राप्त किया गया कोई भी ऋण।

3.4 योजनांतर्गत डायरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर DBT से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। अतः योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग एवं अभिप्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। जिन किसानों के फसल ऋण खाते में आधार नम्बर सीडिंग नहीं है, को इस प्रयोजन हेतु एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

3.5 **गैर निष्पादित आस्तियाँ (NPA):-**

रिजर्व बैंक के मानको के अनुरूप गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में दिनांक 31 मार्च, 2018 तक वर्गीकृत फसल ऋण योजनांतर्गत मान्य होंगें, यदि उक्त फसल ऋण 1 अप्रैल, 2007 अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से प्राप्त किया गया हो। सहकारी बैंकों (तथा PACS) से 1 अप्रैल, 2007 या उसके उपरांत लिया गया फसल ऋण, जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को कालातीत ऋण के रूप में दर्ज हो, योजनांतर्गत पात्र होगा।

3.6 पात्र किसानों के फसल ऋण खाते में योजनांतर्गत पात्रता अनुसार राशि जमा कराई जावेगी। लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

उपरोक्त प्राथमिकता में बैंकों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

(i) सहकारी बैंक

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

(iii) राष्ट्रीकृत बैंक

3.7 **योजना के लिए निरहर्ता/अपात्रता:-**

निम्न श्रेणी के फसल ऋण योजना अंतर्गत निरर्हत / अपात्र रहेगें:-

3.7.1 निम्न श्रेणियों के वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी:- मान. सांसद, मान. विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका / नगर पंचायत / नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष,सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष।

3.7.2 समस्त आयकर दाता।

3.7.3 भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी / कर्मचारी तथा इनके निगम / मण्डल / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर)।

3.7.4 रूपये 15,000/- प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर)

3.7.5 GST में दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/ फर्म/ फर्म के संचालक/ फर्म के भागीदार।

कण्डिका क्रमांक 3.7.1 से 3.7.5 में से किसी भी निरर्हता की स्थिति में उक्त फसल ऋण प्राप्त कर्ता किसान निरर्हत/ अपात्र होगा। उपरोक्त निरर्हता/अपात्रता के लिए पात्र किसान द्वारा स्वप्रमाणीकरण किया जाना योजना हेतु मान्य होगा।

निरर्हता / अपात्रता की सूची में बदलाव या सुधार करने के लिए एवं ऋणमान के युक्तियुक्तकरण के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

4. **क्रियान्वयन प्रक्रिया:-**

4.1 इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन (MP-online) द्वारा पोर्टल तैयार किया जाएगा। पोर्टल का प्रबन्धन का कार्य सक्षम तकनीकी

संस्था के सहयोग से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

4.2. जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण में जिले में स्थित समस्त राष्ट्रीकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB); सहकारी बैंकों की फसल ऋण माफ़ी के पोर्टल से उपरोक्त अवधि के Regular Outstanding loan तथा NPA/कालातीत लोन की आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियां तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियाँ प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर दिनांक 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित करने का कार्य प्रारंभ किया जावे।

4.2.1सूची प्रकाशन के उपरान्त आधारकार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पा होने के उपरांत ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ-लाईन प्राप्त किए जावेंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। किसानों द्वारा भरे गये तीनों किस्म के आवेदन पत्रों (हरे, सफेद तथा गुलाबी) की जानकारी दिनांक 26 जनवरी, 2019 को ग्रामसभा की बैठक में दी जावेगी तथा ऐसे किसान जो तब तक आवेदन पत्र नहीं भर पाये हैं उन्हें दिनांक 05 फरवरी, 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा कराये जाने का समय दिया जावेगा।

4.2.2इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सचिव/ ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मचारी (वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का) भी कर्तव्यस्थ किये जावेगें। प्रत्येक विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

4.2.3 जिन किसानों के नाम गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) में हैं, उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधारकार्ड सीडिंग भी करानी होगी। आधारकार्ड सीडिंग का कार्य दिनांक 15 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 तक प्रत्येक बैंक शाखा/समिति में किया जावेगा। उक्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो, इस हेतु जिला कलेक्टर ग्रामवार तथा बैंक शाखा/समिति वार कार्यक्रम नियत करेगें। बिना आधारकार्ड सीडिंग अथवा

बिना आवेदन पत्र भरे किसी किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

4.3 किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि है, उस ग्राम पंचायत में ऑफ-लाईन आवेदन पत्र जमा कराया जावेगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा कराया जावेगा। आवेदन पत्र में आधारकार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पास बुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) से ऋण की स्थिति में बैंक ऋण खाता पास बुक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसान की कृषि भूमियाँ अनेक ग्राम पंचायतों में हैं तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में (जिसमें सामान्यत: निवास हो) समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियाँ एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होंगी। प्रत्येक ऑफ लाईन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत (नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि भूमि होने पर नगरीय निकाय) द्वारा आवेदक को प्रदान की जावेगी।

4.4 समस्त ऑफ लाईन आवेदनों का कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अथवा कलेक्टर द्वारा जिले में निर्धारित केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत स्थलों पर डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी 2019 से किया जावे। नियत शासकीय कर्मचारी द्वारा ऑफ लाईन आवेदन से पोर्टल पर इन्ट्री का सत्यापन करने उपरान्त ही पोर्टल पर संबंधित ऑफ लाईन आवेदन की जानकारी अपलोड की जावेगी।

4.5 जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही SMS से किसान के मोबाईल पर आटोमेटेड रूप से सिस्टम द्वारा सूचना भेजी जावेगी। कलेक्टर पोर्टल के ऑन लाईन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदक को उपलब्ध करावेंगें।

4.6 जिन किसानों ने ऑफ लाईन आवेदन में आधारकार्ड नंबर या ऋण बैंक खाते का नम्बर नहीं दिया है, उनके आवेदन पत्र की पूर्ति हेतु पृथक से समय दिया जावेगा।

4.7 बैंक शाखाओं द्वारा आधारकार्ड एवं/अथवा बैंक खाता क्रमांक से ऑन-लाईन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण का कार्य पोर्टल पर किया जावेगा। जिन सत्यापित एवं प्रमाणीकृत किए गए बैंक खातों में आधार

अभिप्रमाणन नहीं हुआ है, उसका **UIDAI (Unique Identifaction Development Authority of India)** के पोर्टल से अभिप्रमाणन कराया जावेगा। **UIDAI** पोर्टल से अभिप्रमाणन नहीं होने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर सूचित कर सम्बन्धित किसान द्वारा आधारकार्ड अभिप्रमाणन बैंक शाखा में किया जावेगा।

4.8 संबंधित बैंक शाखा/समिति की जिम्मेदारी होगी कि आधारकार्ड की किसान की जानकारी बैंक अभिलेखों अनुसार ही है तथा नाम, पिता-पति का नाम, गाँव के नाम से आधारकार्ड अभिप्रमाणन कर लिया गया है। बैंक शाखा/समिति द्वारा यह परीक्षण भी किया जायेगा कि प्राप्त हरे तथा सफेद आवेदन-पत्रों की जानकारी बैंक-शाखा/समिति में उपलब्ध जानकारी से मैच करती है अथवा नहीं। जहॉ यह जानकारी मैच नहीं करे, वहॉ बैंक शाखा/समिति संक्षिप्त जांच कर निराकरण करेगी।

4.9 बैंक शाखा/समिति द्वारा डाटा सत्यापन/प्रमाणीकरण उपरांत शासन की नीति अनुसार शासन से राशि का प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पोर्टल पर प्रस्तुत किया जावेगा। पोर्टल के माध्यम से अन्य संबंधित बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी बैंक शाखा/समिति द्वारा 07 दिवस के अंदर पोर्टल पर उक्त प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पर आपत्ति की जा सकेगी। नियत अवधि में आपत्ति प्राप्त ना होने पर संबंधित बैंक शाखा/समिति का कोई भी पश्चातवर्ती दावा मान्य नहीं होगा।

4.10 जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति तथा DLCC की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधारकार्ड पर लिए गए भिन्न-भिन्न ऋण प्रदायकर्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची को दावे/आपत्तियों के निराकरण उपरांत नियमानुसार स्वीकृति दी जावेगी।

4.11 गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जावेगा तथा संबंधित बैंक शाखा/समिति परीक्षण उपरांत निराकरण करेगी।

4.12 NPA/कालातीत ऋण पर राज्य शासन द्वारा बैंकों से परामर्श कर One Time Settlement (OTS) को अंतिम रूप दिया जावेगा।

4.13 पोर्टल पर गणना उपरांत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति एवं DLCC में भुगतान योग्य सूचियों को स्वीकृत कर जिले का मांगपत्र तैयार कर जिला

कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को निर्धारित प्रपत्र में भेजा जावेगा। कृषि विभाग द्वारा बजटीय आवंटन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रदाय किया जावेगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संबंधित लाभान्वित किसान को उसके सबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जमा कराई जावेगी।

4.14 प्रत्येक भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भुगतान किए जाने का SMS किया जावेगा।

4.15 भुगतान प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बैंक शाखा/समिति द्वारा जिन किसानों का Regular Outstanding loan/NPA/कालातीत ऋण समायोजित होगा उन्हें "**ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र**" हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जावेगा। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 बकाया को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पटाया गया है, उन्हें योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त "**किसान सम्मान पत्र**" से सम्मानित किया जावेगा। ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जावेगा।

4.16 प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्रदान किए जाने के उपरांत किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जावेगी।

कण्डिका 4 में वर्णित निर्धारित क्रियान्वयन प्रक्रिया में संशोधन अथवा प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर योजना के प्रचार-प्रसार, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय, सर्वर व्यवस्था, प्रपत्रों की छपाई, प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान सम्मेलनों का आयोजन आदि हेतु प्रदाय बजट में से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आवश्यकतानुसार राशि व्यय कर सकेगा। इस हेतु प्रशासकीय व्यय के मापदण्ड राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति तय करने के लिए अधिकृत होगी।

6. **पोर्टल प्रशिक्षण:-**

इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण के आयोजन किए जावेंगे।

7. **शिकायत निवारण:-**

जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के पास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी प्राप्त शिकायत के परिपत्रानुसार एवं नियमानुकूल निर्णय कर निराकरण के समस्त अधिकार वेष्ठित किये जाते हैं।

8. **राज्य स्तरीय समितियाँ:-**

8.1 **राज्य स्तरीय सशक्त समिति:-**

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा एवं मॉनिटरिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जावेगा, जिसके आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

8.2 **राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति:-**

योजना अन्तर्गत नीतिगत निर्णय लेने तथा मॉनिटरिंग के लिए सक्षम होगी।

1.	मुख्य सचिव,	**अध्यक्ष**
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त,	सदस्य
3.	विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	**संयोजक**
6.	प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
8.	आयुक्त, संस्थागत वित्त	**सह संयोजक**
9.	क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अथवा प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
10.	मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
11.	समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ।	सदस्य

8.3 **राज्य स्तरीय क्रियान्वयन उपसमितिः-**

प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की अध्यक्षता में दिन-प्रतिदिन योजना की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन उपसमिति गठित की जाती है। उक्त समिति में प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, आयुक्त, संस्थागत वित्त, समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) सदस्य होगें।

9. **जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितिः-**

जिला स्तर पर मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत की जाती है। इसके निम्नानुसार सदस्य है :-

1.	माननीय प्रभारी मंत्रीजी	**(अध्यक्ष)**
2.	कलेक्टर	**(उपाध्यक्ष)**
3.	मान.प्रभारी मंत्रीजी द्वारा नामांकित 4 जनप्रतिनिधिगण	सदस्य
4.	अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व)	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
6.	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	**(संयोजक)**
7.	उप संचालक, उद्यानिकी	सदस्य
8.	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	सदस्य
9.	अधीक्षक, भू-अभिलेख	सदस्य
10.	जिला सूचना अधिकारी (एन आई सी)	सदस्य
11.	जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड)	सदस्य
12.	लीड बैंक अधिकारी	**(सह संयोजक)**
13.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
14.	सहायक आयुक्त, (आदिवासी विकास)	सदस्य

10. मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना में संशोधन/ परिमार्जन / परिवर्द्धन समन्वय से आदेश प्राप्त कर किये जा सकेंगे।

योजनांतर्गत उक्तानुसार समय-सीमा में विधिवत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ0 क्रमांक/डी-17/16/2018/14-3 **भोपाल, दिनांक** 07 **जनवरी, 2019**

प्रतिलिपि -

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, म.प्र., राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग।
4. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, लोक निर्माण, पर्यावरण विभाग।
5. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग।
6. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, सहकारिता, संसदीय कार्य विभाग।
7. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, गृह, जेल, मुख्यमंत्री से संबद्ध विभाग।
8. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
9. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, वाणिज्यक कर विभाग।
10. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग।
11. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग।

Annexure -4 आदेश दिनांक 08.01.2019 (क्रियान्वयन हेतु समय सीमा)

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल.

क्रमांक/डी–17–16/2018/14–3 भोपाल, दिनांक 08 जनवरी, 2019

प्रति,

आयुक्त
संभाग.....समस्त
कलेक्टर
जिला .....समस्त

विषयः– प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु "**मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना**" के संबंध में।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2019

––00––

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संदर्भित निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का कड़ाई से समय सीमा में पालन सुनिश्चित किया जावे। **"मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना" के क्रियान्वयन में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों/निगमों/मण्डलो/निकायों के मैदानी कर्मचारियों /अधिकारियों के सहयोग से क्रियान्वित किया जावें।** जिला स्तर पर कलेक्टर, अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकास खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगें।

01. **दिनांक 08 जनवरी, 2019 से :–**

(i) मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के लाभन्वित किसानों के ऋण प्रदाता संस्था/बैंक शाखा में फसल ऋण खाते के आधारकार्ड सीडिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जावे।

(ii) इस कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने हेतु जिला कलेक्टर्स द्वारा प्रत्येक बैंक शाखा/समिति के लिए ग्रामवार दिवस नियत किए जावें। शासकीय कर्मचारी को आवश्यक समन्वय तथा आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखा/समिति में किसानों को गाईड करने के लिए कर्तव्यस्थ किया जावे। उक्त कार्य 5 फरवरी, 2019 तक सतत निरन्तर चलता रहे।

02. **दिनांक 15 जनवरी, 2019 से :–**

(i) प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय एवं बैंक शाखा समिति में आधार सीडेड फसल ऋण खातों के लिए संभावित पात्र किसानों की हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड सफेद सूची पोर्टल से प्राप्त कर चस्पा की जावेगी।

(ii) सुनिश्चित किया जावे की पोर्टल पर बैंक शाखा/समिति द्वारा समस्त आवश्यक जानकारी लोड की गई है तथा पोर्टल से ग्राम पंचायतवार सूचियाँ चस्पा की जाने हेतु प्राप्त कर ली गई हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय में आधी–अधूरी सूचियाँ प्रदर्शित नहीं की जावे।

(iii) 25 जनवरी से पहले समस्त संबंधित ग्राम पंचायत की सर्विस एरिया की समस्त बैंक शाखाओं/समितियों की हरी तथा सफेद सूची प्रदर्शित हों।

(iv) सूची प्रकाशन/ चस्पा होने के उपरान्त आधार कार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर–आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ–लाईन प्राप्त किए जावे। नगरीय निकायों में भी आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे ताकि नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमिधारी ऋणी किसान नगरीय निकाय में आवेदन जमा कर सके। जिन किसानों के नाम दोनों सूचियों में नहीं हैं अथवा उन सूचियों में त्रुटिसुधार हेतु दावा–आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में जमा कराने होंगे। कृषि विभाग द्वारा हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराकर 13 जनवरी की प्रातः तक जिला मुख्यालय पर प्रदाय किये जा रहे है। इन आवेदन पत्रों को समुचित संख्या में ग्राम पंचायतवार तथा बैंक शाखाओं में रखने की व्यवस्था की जावे। कृषि विभाग द्वारा ई–मेल से प्रारूप (मय फोर्मेट) भी भेजा जा रहा है। अधिक आवेदनों की आवश्यकता पड़ने पर उक्त फोर्मेट अनुसार अतिरिक्त आवेदन पत्र भी जिला स्तर पर छपवाये जा सकते हैं। हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्रों की प्रति **परिशिष्ट–1 (अ), (ब) तथा (स)** पर संलग्न हैं।

(v) प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही वर्ग–3 से अनिम्न स्तर का शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्तव्यस्थ किया जावे, जो 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में समस्त हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने का कार्य संपन्न करेगा।

(vi) नोडल कर्मचारी आवेदक कर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पूर्ण भरे हैं, त्रुटिपूर्ण नहीं हैं तथा हस्ताक्षरित हैं, इसे भी सुनिश्चित करेगा।

(vii) नोडल अधिकारी के द्वारा ही आवेदन पत्रों की पावती रसीद जारी की जावेगी तथा प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।

03. दिनांक 26 जनवरी, 2019 से :–

दिनांक 26 जनवरी 2019 को ग्राम सभा का आयोजन किया जावेगा जिसमें उस दिनांक तक हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र भरकर देने वाले आवेदकों की सूची पढ़ी जावेगी। साथ ही ऐसे किसान बंधुओं के नाम भी पढ़े जावेंगें जिनका नाम हरी अथवा सफेद सूची में है किन्तु उनके द्वारा आवेदन पत्र 25 जनवरी तक जमा नहीं किए है।

04. 27 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक :–

(i) हरी एवं सफेद सूची के शेष नाम, जिन्होंने आवेदन भरकर नहीं दिया है उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे।

(ii) प्राप्त आवेदन पत्रों की डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जावेगा। इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर्स को हार्डवेयर एवं मैनपावर की व्यवस्था करनी होगी। इस कार्य हेतु आवश्यक केन्द्रों की स्थापना की जावे।

(iii) जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही SMS से किसान को सूचना चली जावेगी। कलेक्टर द्वारा पोर्टल पर जो भी डाटा इन्ट्री होगी उसकी प्रतिलिपि आवेदक किसान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे।

(iv) गुलाबी आवेदन पत्रो को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जावेगा। जहाँ बैक शाखा द्वारा अपने अभिलेखो से पुष्टि की जावेगी। दावा/आपत्ति सही होने पर पोर्टल की जानकारी को बैंक शाखा द्वारा सुधार किया जावेगा।

05. 5 फरवरी से 10 फरवरी :–

(i) ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों को डाटा इन्ट्री सेन्टर पर इनपुट किया जावेगा। पोर्टल की जानकारी बैंकों को ऑन–लाईन accessible होगी। पोर्टल की ऋण खाते की जानकारी का सत्यापन, आधारकार्ड प्रमाणीकरण का कार्य किया जावेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में अगर आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ हो तो उसका राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा UIDAI के पोर्टल से बैंक द्वारा अभिप्रमाणन कराया जावे। सहकारी बैंकों के ऋण खातों का आधार अभिप्रमाणन MAP-IT के द्वारा अधिकृत Authentication User Agency (AUA) के माध्यम से कराई जावे।

(ii) पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) display होंगे, इससे सभी बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा उनके द्वारा ऐसे प्रावधिक दावे पर आपत्ति की जा सकेगी।

06. **10 फरवरी से 17 फरवरी :–**

(i) बैंक शाखा/समिति इन 7 दिवसों के अंदर पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पर आपत्ति की, अगर कोई हो तो दर्ज करने की व्यवस्था की जावेगी।

(ii) ऐसे फसल ऋण खाते जिनमें हरी/सफेद सूची के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, आधार अभिप्रमाणन हुआ है तथा Provisional Claim पर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, को DLCC के समक्ष परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

07. **18 फरवरी से 20 फरवरी :–**

(i) DLCC की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधार कार्ड पर लिए गए भिन्न–भिन्न ऋण प्रदायकर्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची के दावे/आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा तथा निराकरण के उपरांत नियमानुसार अनुशंसा की जावेगी।

(ii) DLCC से अनुशंसा सहित प्राप्त सूची में भुगतान हेतु प्रथम चरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। भुगतान करते समय बैंक को निम्न कम में प्राथमिकता दी जावेगी।

I सहकारी बैंक
II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
III राष्ट्रीयकृत बैंक

08. **21 फरवरी :–**

(i) जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा भुगतान के लिए अनुमोदित सूचियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास से आवंटन की मांग की जावे।

(ii) गुलाबी आवेदन पत्रों पर संबंधित बैंक शाखा द्वारा किसान की दावा–आपत्ति मान्य किए जाने पर पोर्टल पर विधिवत अपलोड किए जाने का ऑप्शन बैंक शाखा को प्रदान किया जावेगा।

09. 22 फरवरी से लगातार :–

(i) लाभान्वित किसान को उसके संबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जिला स्तर से जमा कराई जावेगी।

(ii) भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भुगतान किए जाने का SMS पोर्टल के माध्यम से होगा।

(iii) जिन किसानों को इस योजना में लाभ मिलेगा, उन्हे ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किए जावेंगे। इसका पृथक से प्रारूप प्रेषित किया जावेगा।

(iv) जिन किसानों के द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 को बकाया को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पटाया हो उन्हे योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त **"किसान सम्मान पत्र"** प्रदाय किए जावेंगे। इसका पृथक से प्रारूप प्रेषित किया जावेगा।

(v) ऋण मुक्ति प्रमाण पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजानिक कार्यक्रमों का आयोजन कर किया जावे। इस हेतु कृषि विभाग पृथक से निर्देश जारी कर रहा है।

(vi) प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जावे।

10. प्रशासकीय व्यय :–

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में आने वाले व्यय तथा योजना का प्रचार–प्रसार, रजिस्टर/स्टेशनरी प्रपत्र, हार्डवेयर/मैनपावर, की व्यवस्था आदि के लिए प्रशासकीय व्यय हेतु राशि पृथक से जारी की जा रही है।

योजनांतर्गत उक्तानुसार समय–सीमा में विधिवत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा योजना के क्रियान्वयन में समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें।

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Annexure -5 आदेश दिनांक 15.01.2019 (योजना का नाम परिवर्तन)

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी, 2019

विषयः- प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु **"मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना"** का नाम **"जय किसान फसल ऋण माफी योजना"** किए जाने विषयक।

क्रमांक/डी-17/16/2018/14-3: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2019 को जारी किया गया। उक्त आदेश में उल्लेखित **"मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना"** का नाम परिवर्तन कर **"जय किसान फसल ऋण माफी योजना"** किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाता है। योजना के समस्त प्रावधान यथावत रहेंगे तथा पूर्व में जारी किए गए हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र **"जय किसान फसल ऋण माफी योजना"** के लिए मान्य होंगे।

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ0 क्रमांक/डी-17/16/2018/14-3 **भोपाल, दिनांक 15 जनवरी, 2019**

प्रतिलिपि -

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, म.प्र., राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग।
4. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, लोक निर्माण, पर्यावरण विभाग।
5. विशेष सहायक माननीय मान. मंत्री, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग।

Annexure -6 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल.

क्रमांक / डी–17–16 / 2018 / 14–3 भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश ।

विषयः– "मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों (queries) पर Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान विषयक।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2019 एवं 08 जनवरी 2019

—00—

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों के आधार पर Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान निम्नानुसार हैं :–

क्र.	प्रश्न	समाधान
1.	ऋण लिया हो, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2018 से पहले वापिस जमा कर दिया हो, इस प्रकार उनका Regular outstanding loan 31 मार्च, 2018 की स्थिति में नहीं दिखेगा तब क्या उन्हें पात्रता होगी ?	31.मार्च, 2018 से पूर्व लौटाए गए फसल ऋण पर योजना में लाभ प्राप्त नहीं होगा।
2.	यदि कुल ऋण 2.00 लाख से अधिक है तो क्या लाभ 2.00 लाख तक की सीमा में मिलेगा अथवा लाभ के लिए अपात्र होंगे ?	योजना के अन्य समस्त मापदण्ड एवं पात्रता शर्तों की पूर्ति करने पर रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा तक लाभ प्रदान किया जावेगा।
3.	ऐसे कृषक जिनकी कर्ज लेने के पश्चात मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी ?	ऐसे किसान के वारिसों को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। वारिसों को संयुक्त रूप से योजना का लाभ मिलेगा।
4.	दिनांक 31 मार्च से 12 दिसम्बर तक यदि पूर्ण ऋण चुकाया जा चुका है तो क्या कोई भुगतान किया जावेगा ? यदि आंशिक ऋण चुकाया गया है तो क्या बची हुई आउटस्टेंडिंग के बराबर राशि दी जाएगी अथवा पूर्ण ऋण की राशि दी जायेगी।	दिनांक 31 मार्च, 2018 को शेष राशि के आधार पर पात्रता अनुसार योजना का लाभ मिलेगा।
5.	किसी हितग्राही ने कृषि ऋण ले रखा हो, किन्तु दिनांक 31.03.2018 तक जमा नहीं कराया हो, ऐसी स्थिति मे लंबे समय से जमा नहीं कराने के कारण दिनांक 01.04.2018 के बाद बैंक द्वारा अगर राइट ऑफ कर के खाता बंद कर दिया हो, क्या उनको योजना की पात्रता होगी ?	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के NPA तथा नाबार्ड के कालातीत की परिभाषा ही मान्य होगी। योजना में NPA तथा कालातीत लोन के विषय में प्रावधान सुस्पष्ट हैं।
6.	KCC अकाउंट को आधार से लिंक करने के बाद यदि किसान अन्य कोई बचत खाता खोलकर आधार से लिंक करवा लेता है तो ऋण की राशि दूसरे खाते में चली जायेगी।	योजना का लाभ लेने हेतु बैंक के फसल ऋण खाते को आधार लिंक किया जाना है। योजना अंतर्गत निर्गमित राशि ऋण खाते में ही जमा होगी।

क्र.	प्रश्न	समाधान
7.	फसल ऋण माफी योजना में संयुक्त ऋण खाता है तो सभी खातेदारों के आधार कार्ड नम्बर लिए जाना है या नहीं अथवा संयुक्त खाते में प्रथम खातेदार के ही आधार कार्ड से ही ऋण माफी हेतु पात्र होगा ?	फसल ऋण जिस संयुक्त खाते के किसान द्वारा लिया गया है उसी के आधार कार्ड सीडिंग की आवश्यकता होगी। यदि संयुक्त ऋणी है तो सभी के आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य होगी।
8.	संयुक्त खाताधारक की स्थिति में ऋण माफ का मापदण्ड क्या होगा ?	फसल ऋण खाता जिन किसानों के संयुक्त नाम पर होगा, उन्हीं को आवेदन करने की तथा उक्त फसल ऋण खाते में योजना प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। एक ऋण खाते में एक से अधिक संयुक्त ऋणी होने पर योजना की पात्रता अनुसार अधिकतम रूपये 2.00 लाख का लाभ ही प्राप्त हो सकेगा।
9.	31 मार्च, 2018 की स्थिति में कृषक द्वारा लिया गया मूलधन को आधार माना जावेगा अथवा मूलधन ब्याज सहित को आधार मानकर गणना की जावेगी।	योजनांतर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति में मूलधन एवं उक्त तिथि के ब्याज की गणना कर जो कुल बकाया राशि है उसे ही आधार बनाया जावेगा।
10.	एक कृषक का एक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंको में योजनानुसार पात्र ऋण दिनांक 31 मार्च, 2018 पर बकाया है तो ऋण माफी प्राथमिकता क्रम क्या होगा ?	सहकारिता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में यदि बकाया नहीं है तो राष्ट्रीकृत बैंकों में प्राथमिकता में सर्वप्रथम सबसे कम राशि के बकाया ऋण खाते में लाभ प्रदान किए जावेंगे। तत्पश्चात इससे अधिक शेष वाले खाते में योजना में निर्धारित राशि सीमा तक का लाभ प्राप्त होगा।
11.	दिनांक 31 मार्च, 2018 को राशि रूपये 2.00 लाख से अधिक का पात्र ऋण शेष है तो क्या शेष राशि कृषक द्वारा जमा कराने पर पात्रता होगी अथवा शेष राशि जमा कराने की बाध्यता नहीं होगी ?	योजनांतर्गत यह बाध्यता नहीं है।
12.	1 अप्रैल, 2018 से 12 दिसम्बर 2018 के मध्य बैंको द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण माफ होगा अथवा नहीं।	जी नहीं।
13.	ऐसे कृषक जो किसी कारण से पलायन कर रहे हैं और उनका बैंक मे अभी भी ऋण आउटस्टेंडिंग है।	योजना के अन्य समस्त प्रावधानों पर पात्र होने पर योजनान्तर्गत लाभ मिल सकेगा।
14.	कण्डिका 3.7.3 अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में संविदा कर्मचारी (उपयंत्री/रोजगार सहायका/डेटा एन्ट्री ऑपरेटर) आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता तथा आउट सोर्स पर लगे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के माने जायेंगे या अपात्र किए जायेंगे ?	संविदा कर्मी जो वर्ग 1, 2 या 3 के पदों के कार्यरत है, पात्र नहीं होंगे। ग्राम रोजगार सहायक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या आऊटसोर्स पर लगे कर्मचारी योजना के लिए शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय निगम/मण्डल के कर्मचारी की अपात्रता में नहीं आऐंगे।
15.	हरी एवं सफेद सूची का कोई मानक प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है।	सूची का प्रारूप पृथक से भेजा जाएगा।

क्र.	प्रश्न	समाधान
16.	माननीय जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों (पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधु) को इस योजना की पात्रता होगी अथवा नहीं।	अपात्रता, फसल ऋण खाता जिस कृषक के नाम पर है उसके वर्तमान अथवा भूतपूर्व पदाधिकारी पर लागू होगी। परिवार के अन्य वयस्क सदस्य के द्वारा फसल ऋण लिया हो तथा अन्य समस्त पात्रता एवं मापदण्ड की पूर्ति होती हो तो योजना का लाभ मिल सकेगा।
17.	पूर्व में ऋण वितरण के समय कृषक के पास भूमि थी। वर्तमान में कृषक द्वारा भूमि का विक्रय किया जा चुका है ऐसी दशा में प्रक्रिया/ पात्रता क्या होगी ?	जिस व्यक्ति के नाम ऋण है, उसी व्यक्ति को पात्रतानुसार लाभ प्राप्त होगा।
18.	यदि उद्यानिकी का भी 31 मार्च, 2018 को कालातीत/ अकालातीत ऋण बकाया है तो क्या वह ऋण भी ऋण माफी की पात्रता में आवेगा ?	योजना केवल अल्पकालीन फसल ऋण के लिए है तथा सावधि ऋण (term loan) शामिल नहीं है।
19.	आधारकार्ड अथवा बैंक खाता नम्बर की कमी होने पर पूर्ति हेतु कब तक समय दिया जाना है ? क्या इसकी समय सीमा भी 5 फरवरी, तक होगी ?	जी हाँ।
20.	यदि प्रोविजनल क्लेम बैंक से मागा जा रहा है तो डी.बी.टी. किसान के खाते में क्यो की जाना है ?	योजना का लाभ DBT के माध्यम से किसान के ऋण खाते में ही पात्रतानुसार दिया जाएगा।
21.	कृषक द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण लेने की स्थिति में ऋण माफी की सीमा राशि रूपये 2.00 लाख तक कर्ज माफी उपरोक्तानुसार विभिन्न बैंकों हेतु संयुक्त रूप से लागू होगी ?	जी हाँ। योजना प्रावधान ऐसे समस्त ऋण खातो पर लागू होगें।
22.	ऐसे कृषक जो " मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना" का लाभ प्राप्त कर चुके है, क्या ऐसे कृषकों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा ? यदि हॉ तो ऐसे कृषकों को लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया क्या होगी ?	योजना की पात्रतानुसार लाभ प्राप्त हो सकेगा।
23.	यदि कृषक ऋण लेते समय किसी पद पर नहीं था, परन्तु बाद में वह पदाधिकारी नियुक्त हुआ तब क्या ऐसा भूतपूर्व या वर्तमान पदाधिकारी अपात्रता में आयेगा।	जी हाँ।
24.	किसान का ऋण खाता संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में होता है, जिस पर कोर बैंकिग सिस्टम चालू नहीं है, ऐसी स्थिति में किसान के संबंधित बैंक खाते में DBT(RTGS /NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जमा होने के पश्चात सोसायटी के ऋण खाते में राशि अंतरित की जाकर समायोजन प्रविष्टि से राशि प्रविष्ट की जा सकेगी ।	जिला सहकारी बैंक द्वारा संबंधित कृषक के ऋण खाते में समायोजन किया जाएगा।
25.	पोर्टल में यह व्यवस्था हो कि कालातीत,एन.पी.ए., नियमित ऋण बकायादार श्रेणी के कृषकों की पृथक–पृथक सूची उपलब्ध हो जो पोर्टल से निकाली जा सके।	पोर्टल में यह व्यवस्था की गई है।
26.	पोर्टल में यह सुविधा हो कि एक से अधिक बैंक से लिया गया ऋण का बकाया हो तो एक ही सूची में सभी बैंक के बकाया दर्शित हो।	एक आधारकार्ड संख्या पर समस्त फसल ऋण खातों की एकजाई सूची पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

क्र.	प्रश्न	समाधान
27.	किसी कृषक की निरर्हता के संबंध में बैंक/सहकारी संस्थाओं को ज्ञात है तो क्या वे ऐसे कृषकों को पात्रता सूची (हरी/सफेद सूची) में सम्मिलित करेगें अथवा कृषक के स्वप्रमाणन के आधार पर निरर्हता होगी ?	स्वप्रमाणन के आधार पर निरर्हता तय होगी। तथापि बैंक शाखा/समिति की निरर्हता की आपत्ति किए जाने पर ऐसे प्रकरणों का निराकरण जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में ही लिया जा सकेगा।
28.	पत्नि के नाम पर जमीन है ओर पति नोकरी में है, ऐसी स्थिति में वह पात्र होगा या अपात्र ?	अपात्रता/निरर्हता फसल ऋण खाताधारी के ऊपर लागू है। स्वयं की पात्रता होते हुए अपात्रता श्रेणी में अन्य रिश्तेदार होने मात्र से आवेदक अपात्र/निरर्हत नहीं होगा।
29.	राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की आधार सीडेड एवं गैर आधार सीडेड ऋण खातों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर ग्राम पंचायतवार संधारित नहीं हैं तथा सूची समय सीमा के पूर्व कब तक प्राप्त की जा सकेगी।	पोर्टल पर ग्रामवार एवं बैंक शाखावार सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
30.	ऑनलाईन आवेदन की प्रतिलिपि क्या मात्र उन्हीं किसानों को दिया जाना है जो स्वयं ऑनलाईन आवेदन करते हैं।	कृषक द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन किए जाने का योजना में प्रावधान नहीं हैं। चूकि समस्त आवेदन पत्र ऑफलाइन प्राप्त किए जाने हैं। अतः सभी को दर्ज ऑनलाईन आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाना होगी।
31.	आधारकार्ड अथवा बैंक खाता नंबर की कमी होने पर पूर्ति हेतु कब तक समय दिया जाना है ? क्या इसकी समय सीमा भी 05 फरवरी तक होगी ?	जी हाँ ।
32.	15 जनवरी से पूर्व ऋण खातों में आधार सीडिंग एवं ऋण खातेदारों की सूची तैयार करने की समस्त कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा की जायेगी, इसमें जिला प्रशासन की भूमिका क्या मात्र मॉनिटरिंग तक सीमित होगी ?	इस हेतु विस्तृत निर्देश दिनांक 08 जनवरी 2019 को जारी किए गए है।
33.	आधार अभिप्रमाणन का दायित्व बैंक का होगा। जिला प्रशासन अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराकर इसकी गति बढ़ाने में असमर्थ रहेगा।	जी हाँ ।
34.	किसानों के खातों में ट्रायल के तौर पर एक रूपये का भुगतान किया जाये तथा जिन किसानों के ट्रायल भुगतान सफल होते हैं उनके खाते में ही योजना की राशि भुगतान की जाये और जिन किसानों के भुगतान फेल होते हैं उनके खाते सुधरवाने के पश्चात एक बार फिर से ट्रायल की जाये।	संभव नहीं है। IFSC Code तथा बैंक अकाऊण्ट details उचित हैं तो ट्रांजेक्शन फेल नहीं होंगें।
35.	किसानों से हरे रंग, सफेद रंग एवं गुलाबी रंग के आवेदन भरवाकर लिये जाने हैं, इनके प्रारूपों की तत्काल ही आवश्यकता है।	ऐसा किया जाना उचित नहीं है। दिनांक 08.01.2019 को कलेक्टर्स को जारी पत्र के e-mail के साथ तीनों किस्म के आवेदनों की सॉफ्ट कॉपी दी गई है। दिनांक 13 जनवरी, 2019 तक समुचित मात्रा में हरे,सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र जिलों को भेजे जा रहे हैं।

क्र.	प्रश्न	समाधान
36.	प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों का डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी, 2019 से किए जाने का उल्लेख किया गया है जिसे 15 जनवरी से लगातार प्राप्त होने वाले आवेदनों का परिक्षणोंपरान्त ऑनलाइन इन्ट्री भी किया जाना प्रस्तावित है।	**हाँ। पोर्टल पर इन्ट्री 15 जनवरी से प्राप्त आवेदनों की प्रारम्भ की जा सकती है।**
37.	गुलाबी आवेदन के निराकरण के लिए क्या आधार रखे जायेंगे एवं क्या समय सीमा होगी ?	**समय सीमा योजना में नियत नहीं हैं। तथापि शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा निराकरण कर पात्र पाए गए प्रकरणों को अनुशंसा सहित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में 31 मार्च, 2019 तक भेज दिया जावे।**
38.	कितनी राशि के समायोजन क **ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र** या **किसान सम्मान पत्र** जारी किए जाने हैं ? क्या यदि किसान को रूपये 100/200 की राशि समायोजन हुई है, उसको भी प्रमाण पत्र देने हैं।	**ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र अथवा किसान सम्मान पत्र उन्हीं लाभान्वित किसानों के बनाए एवं वितरित किए जाने हैं, जिनके फसल ऋण खाते में रूपये 2,000/–या उससे अधिक राशि समायोजित की गई है।**

कृपया उक्तानुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ0 क्रमांक/डी–17–16/2018/14–3 **भोपाल,दिनांक 09 जनवरी, 2019**

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन (समस्त) ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन (समस्त)
6. सचिव, म.प्र.शासन, (समस्त)।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त) म.प्र.।
8. मुख्य महाप्रंबधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल।
9. राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल ।
10. राज्य समन्वयक, एस.एल.बी.सी. राज्य समन्वयक बैंकर्स समिति, भोपाल को समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रेषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
11. संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत– समस्त, को पालनार्थ।

प्रमुख सचिव 9.1.19
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल.

क्रमांक/डी–17–16/2018/14–3 भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश ।

विषयः– "मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान विषयक।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक आदेश दि. 07 जनवरी, 2019, 08 जनवरी 2019 एवं 09 जनवरी 2019

—00—

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों के आधार पर Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान निम्नानुसार हैं :–

क्र.	प्रश्न	समाधान
1.	2.	3.
1.	कुछ वृद्व ऋणधारी कृषकों के बायोमेट्रिक मशीन में फिंगर प्रिंट इत्यादि स्पष्ट नहीं होने के कारण उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जबकि उनको बैंकों से ऋण है। ऐसे प्रकरणों में क्या किया जावें ?	जय किसान फसल ऋण माफी योजना में ऋण खातें में आधार सीडिंग अनिवार्य है। आधार कार्ड नहीं होने के संबंध में इंरोलमेंट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर के उपयोग के संबंध में पूर्व से ही निर्देश जारी किए गए हैं। यदि वृद्वावस्था के कारण कृषक के बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट इत्यादि की पुष्टि नहीं होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं अथवा उप जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा कि उक्त कारणों से नवीन आधार कार्ड नहीं बन सकता है। उक्त प्रमाणीकरण आवेदक द्वारा भरे गए गुलाबी आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। साथ ही ऋण खाताधारी किसान से शपथ पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावे कि उनके द्वारा किसी अन्य बैंक से कोई फसल ऋण प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों को पृथक से कलेक्टर लाग–इन से इन्द्राज करने के लिए पोर्टल पर व्यवस्था की जा रही है।
2.	कुछ ऐसे संयुक्त खाते हैं जिनमें ऋणधारी के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति के भूमि के शामिली खाते में जिनके नाम दर्ज हैं, वह आयकर दाता है । जिस कारण वह निर्हरता की श्रेणी में आ रहे हैं । ऐसे प्रकरणों में क्या किया जावें ?	(1) ऐसे संयुक्त खाते, जिनमें फसल ऋण संयुक्त खाताधारकों के नाम पर संयुक्त रूप से है और उनमें से कोई भी ऋण खाताधारक योजना में निरहरता की श्रेणी में आता हो, तो समस्त ऋण खाताधारकों को निरहरता की श्रेणी में माना जावेगा। (2) यदि अन्य संयुक्त खाताधारकों की सहमति के उपरान्त केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर बैंक द्वारा फसल ऋण स्वीकृत किया गया है और वह व्यक्ति योजना में पात्र है, भले ही भूमि के संयुक्त खातेदार अपात्र श्रेणी में हों, तो संबंधित हितग्राही योजना में पात्र माना जावेगा।

क्र.	प्रश्न	समाधान
1.	2.	3.
3.	जिस हितग्राही के द्वारा ऋण लिया गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके वारिस की तरफ से किस प्रकार से दावा किया जावेगा ?	ऐसे प्रकरण में सर्वप्रथम संबंधित मृतक के वारिस से गुलाबी फार्म भाग–1 भरवाया जावे तथा वारिस का स्वयं का आधार नम्बर दर्ज कराया जावे। तदुपरान्त समस्त वैध वारिस संपूर्ण अभिलेख सहित संबंधित बैंक शाखा में जाकर बैंक की वारिसान घोषित किए जाने की नियत प्रकिया का विधिवत पालन सुनिश्चित एवं पूर्ण करावें। प्रकरण की संपूर्ण फाईल को जिला स्तरीय कियान्वयन समिति में ऑफलाईन रखा जाकर उस आधार पर प्रकरणवार निर्णय कराया जावे। जिला स्तरीय कियान्वयन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकरण में मृतक के वारिस के अन्य फसल ऋण खातों सहित रूपये 2.00 लाख से अधिक के चालू/कालातीत फसल ऋण माफ ना हों।
4.	यदि हितग्राही जेल में है तो उनके द्वारा स्वयं फार्म जमा नहीं करने की स्थिति में क्या करना होगा ?	हितग्राही के संबंधियों/रिश्तेदारों के द्वारा नियत आवेदन पत्र जेल में हितग्राही से भरवाया जावे, जिस पर संबंधित जेल अधीक्षक से प्रमाणीकरण करवाया जावे तथा पत्र भी प्राप्त किया जावे कि उक्त हितग्राही जेल में कब से निरूद्व है। उक्त कार्यवाही उपरान्त ऐसे आवेदन पत्र को हितग्राही के संबंधियों/रिश्तेदार द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जमा कराया जावे ।
5.	कुछ हितग्राहियों द्वारा हरे/सफेद फार्म भरने के उपरान्त उसमें भरी गई राशि के स्थान पर उनके द्वारा बैंक में दिनांक 31 मार्च, 2018 को बकाया ऋण की राशि बढ़ाने के संबंध में पुनः पोर्टल खोलने अथवा गुलाबी फार्म भरने की मांग की जा रही है। ऐसे प्रकरणों में क्या किया जावें ?	जिस आवेदन पत्र को हितग्राही द्वारा जानकारी भरकर ग्राम पंचायत में जमा करायी जा चुकी है तथा पोर्टल पर जानकारी दर्ज की जा चुकी है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा। वैसे भी आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को ऑनलाईन किए जाने उपरांत बैंक शाखा के अभिलेखों से समस्त जानकारी का सत्यापन किया जाना योजना में नियत है।
6.	कुछ फार्म भरने में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के स्तर से त्रुटि हुई हो तो उक्त जानकारी में किस प्रकार सुधार किया जावे ?	इस संबंध में कलेक्टर लाग–इन स्तर पर **Edit** की सुविधा प्रदान की गई है और इस प्रकार का सुधार कलेक्टर लाग–इन से ही संभव है। अतः उक्त प्रकार के प्रकरण को कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार सुधार की कार्यवाही कलेक्टर स्तर से की जावे ।
7.	ऐसे प्रकरण में जिन्हें बैक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 को ऋण बकाया का खाता बन्द कर दिया गया है। ऐसे प्रकरण में क्या किया जाना है ?	बैंक शाखा प्रबंधक को यह सुविधा दी गई है कि जिन फसल ऋण खातों को बैंक के द्वारा सीबीएस में बंद कर दिया गया है, ऐसे बैंक ऋण खातों के स्थान पर बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा किसान का अन्य खाता का क्रमांक (जानकारी) पोर्टल पर दर्ज की जा सकेगी, जिसके आधार पर खाते में राशि अंतरित की जावेगी ।

क्र.	प्रश्न	समाधान
1.	2.	3.
8.	ऐसे प्रकरणों जिसमें हितग्राही निरहरता की श्रेणी में हों और उस तथ्य को स्व–घोषणा में उसे छिपाया गया हों, परन्तु नोडल ऑफीसर द्वारा चेक लिस्ट में यह टीप दी गई कि आवेदक निरहरता की श्रेणी में आ रहा है तो ऐसे प्रकरणों में क्या किया जावे ?	इस प्रकार के प्रकरणों में सर्वप्रथम प्रेषित प्रकरणों को निरस्त किया जावे। यदि कोई प्रकरण पोर्टल पर अपलोड हो भी गया है तो जिला स्तरीय कियान्वयन समिति द्वारा ऐसे प्रकरण निरस्त कर संबंधित आवेदकों को सूचित किया जावे तथा संबंधित आवेदकों के विरूद्व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे ।

कृपया उक्तानुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(डॉ. राजश्री राजोरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ0 क्रमांक/डी–17–16/2018/14–3 भोपाल,दिनांक 04 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन (समस्त) ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन (समस्त)
6. सचिव, म.प्र.शासन, (समस्त)।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त) म.प्र.।
8. मुख्य महाप्रंबधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल।
9. राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल ।
10. राज्य समन्वयक,एस.एल.बी.सी. राज्य समन्वयक बैंकर्स समिति, भोपाल को समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रेषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
11. संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत– समस्त, को पालनार्थ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Annexure -7 एम्.पी.ऑनलाइन पोर्टल का whitelisting

संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदे
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भव
भोपाल – 4620(
☎ – (0755) 2551199, 255200
फैक्स – 0755–255138
e-mail: difbho@mp.gov.i

क.प्राविवि / ऋ.मा.यो. / संविस / 2019 / 302 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2019

तत्काल / समय–सीमा दिनांक 31 जनवरी, 2019

प्रति,

1. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल।
2. महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
3. महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
4. महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
5. महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
6. महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
7. महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
8. महाप्रबंधक, आईडीबीआई बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
9. उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
10. उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
11. उप महाप्रबंधक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
12. उप महाप्रबंधक, सिण्डिकेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
13. उप महाप्रबंधक, आंध्रा बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
14. उप महाप्रबंधक, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
15. उप महाप्रबंधक, देना बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
16. उप महाप्रबंधक, कारपोरेशन बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
17. उप महाप्रबंधक, विजया बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
18. आंचलिक प्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
19. आंचलिक प्रबंधक, इण्डियन बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
20. आंचलिक प्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
21. आंचलिक प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।
22. अध्यक्ष, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर।
23. अध्यक्ष, सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा।
24. अध्यक्ष, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, इन्दौर।
25. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, भोपाल।

विषय:– जय किसान फसल ऋण माफी योजना हेतु किसानों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।
संदर्भ:– किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का आदेश क. डी–17 / 16 / 2018 / 14–3 दिनांक 7 जनवरी, 2019।

=0=

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा एम0पी0ऑनलाईन के माध्यम से पोर्टल तैयार किया गया है। प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ही अपने दावे / आपत्तियां प्रस्तुत की जाना है। इस हेतु सभी बैंक शाखाओं द्वारा लॉगिन करने हेतु User-ID तथा Password तैयार कर उपलब्ध कराये जा रहे है। बैंक के के माध्यम से Portal पर लॉगिन हेतु आवश्यक है कि बैंक द्वारा निम्नांकित URL को अपने सी0बी0एस0 में White Listing करवाया जाये, जिससे शाखा प्रबंधक द्वारा पोर्टल का access किया जाकर योजना अंतर्गत आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:–

www.mponline.gov.in
www.cmlws.mponline.gov.in

निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त कार्य दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक करवाया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही बैंक के सी0बी0एस0 में उक्त दोनों URL की White Listing होने के उपरान्त इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करने का कष्ट भी करें।

(सतीश गुप्ता)
संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त

पृ.क.प्राविवि/ऋ.मा.यो./संविसं/2019/303 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सहकारिता विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी समितियां, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैप—आईटी, भोपाल।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम0पी0 ऑनलाईन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त

Annexure -8 बैंक वार फसल ऋण (Crop loans) खाते दिनांक 31.03.2018 को

राशि करोड़ में

क्र.सं.	बैंक का नाम	स्टैण्डर्ड खाते		एन.पी.ए. खाते		कुल खाते		हरे फॉर्म (आधार अभिप्रमाणित खाते)			सफेद फॉर्म (गैर-आधार अभिप्रमाणित खाते)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या %	संख्या	राशि
1	इलाहाबाद बैंक	83003	1575	2857	53	85860	1628	17739	332	21%	68121	1296
2	आन्ध्र बैंक	1719	35	34	1	1753	36	1627	33	93%	126	3
3	बैंक ऑफ बड़ोदा	32750	595	4943	107	37693	703	10646	219	28%	27047	484
4	बैंक ऑफ इंडिया	324803	6952	20737	499	345540	7451	255800	5586	74%	89740	1865
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	34106	583	13992	193	48098	775	12917	222	27%	35181	553
6	कनारा बैंक	27510	606	1709	35	29219	641	12106	259	41%	17113	381
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	238835	3813	10163	141	248998	3953	65258	1102	26%	183740	2851
8	कार्पोरेशन बैंक	8186	243	853	25	9039	268	4299	124	48%	4740	145
9	देना बैंक	6056	152	1394	38	7450	190	2003	49	27%	5447	142
10	आई.डी.बी.आई. बैंक	12269	297	541	15	12810	312	7038	172	55%	5772	140
11	इंडियन बैंक	1710	31	360	7	2070	38	158	2	8%	1912	35
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	2190	42	109	3	2299	45	928	17	40%	1371	28
13	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	5578	153	2429	75	8007	227	3216	90	40%	4791	138
14	पंजाब एवं सिंध बैंक	3619	75	776	26	4395	100	2404	53	55%	1991	47
15	पंजाब नेशनल बैंक	154512	2699	12284	196	166796	2895	1407	29	1%	165389	2866
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	485270	10656	117010	1894	602280	12550	165387	3696	27%	436893	8854
17	सिंडिकेट बैंक	6547	115	1967	40	8514	155	5415	100	64%	3099	55
18	यूको बैंक	32503	606	8729	160	41232	765	18620	352	45%	22612	413
19	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	105146	2356	10313	198	115459	2554	41192	999	36%	74267	1555
20	यूनाइटेड बैंक	7	0.10	14	0.52	21	0.62	4	0.05	19%	17	0.58
21	विजया बैंक	6253	137	286	7	6539	143	5675	125	87%	864	19
	कुल राष्ट्रीयकृत बैंक	**1572572**	**31720**	**211500**	**3711**	**1784072**	**35431**	**633839**	**13562**	**36%**	**1150233**	**21869**
22	सेंट्रल म.प्र.ग्रामीण बैंक	103459	2031	12626	171	116085	2202	19167	288	17%	96918	1914
23	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	150312	1263	57895	594	208207	1858	0	0	0%	208207	1858
24	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	173186	2693	12128	215	185314	2908	54862	828	30%	130452	2080
	कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	**426957**	**5987**	**82649**	**980**	**509606**	**6968**	**74029**	**1116**	**15%**	**435577**	**5852**
25	सहकारी बैंक*	1524311	8474	1690643	9141	3214954	17615	2249972	13222	70%	964982	4393
	कुल सहकारी बैंक	**1524311**	**8474**	**1690643**	**9141**	**3214954**	**17615**	**2249972**	**13222**	70%	**964982**	**4393**
	कुल योग	**3523840**	**46182**	**1984792**	**13832**	**5508632**	**60014**	**2957840**	**27901**	54%	**2550792**	**32113**

*आधार सीडेड

Annexure -8 बैंक वार फसल ऋण खाते-स्टैण्डर्ड (Slab Wise) दिनांक 31.03.2018 को

राशि करोड़ में

क्र.सं	बैंक का नाम	1-10000		10001-50000		50001-1 लाख		100001-2 लाख		Above 2 लाख		कुल	
		संख्या	राशि	संख्य	राशि	संख्या	राशि	संख्य	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	इलाहाबाद बैंक	2843	0.67	6290	21.60	16629	125	27733	398	29508	1029	83003	1575
2	आन्ध्र बैंक	33	0.00	55	0.18	299	2	668	10	664	22	1719	35
3	बैंक ऑफ बड़ोदा	2142	0.36	3929	12.06	5683	42	9329	135	11667	406	32750	595
4	बैंक ऑफ इंडिया	7293	1.83	14515	51.65	55061	418	113977	1663	133957	4818	324803	6952
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2986	0.59	3353	11.27	6688	50	10113	145	10966	375	34106	583
6	कनारा बैंक	567	0.12	1184	4.24	4226	32	9107	132	12426	437	27510	606
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	13657	2.18	27888	94.35	55844	415	73287	1047	68159	2254	238835	3813
8	कार्पोरेशन बैंक	192	0.02	172	0.65	805	6	2290	34	4727	202	8186	243
9	देना बैंक	308	0.05	248	0.87	727	6	1810	27	2963	119	6056	152
10	आई.डी.बी.आई. बैंक	121	0.03	483	1.78	2065	16	4198	61	5402	218	12269	297
11	इंडियन बैंक	47	0.01	127	0.45	384	3	495	7	657	21	1710	31
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	61	0.01	82	0.31	412	3	793	12	842	27	2190	42
13	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	232	0.03	163	0.60	618	5	1599	24	2966	124	5578	153
14	पंजाब एवं सिंध बैंक	80	0.02	228	0.74	610	5	1103	16	1598	53	3619	75
15	पंजाब नेशनल बैंक	21051	2.85	10247	35.21	27982	212	45344	651	49888	1798	154512	2699
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9024	3.54	30460	102.58	75851	576	151892	2232	218043	7742	485270	10656
17	सिंडिकेट बैंक	57	0.01	447	1.67	1567	12	2343	34	2133	68	6547	115
18	यूको बैंक	1351	0.28	2075	7.26	6061	46	10389	151	12627	402	32503	606
19	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1401	0.34	4260	15.44	16633	127	34760	502	48092	1711	105146	2356
20	यूनाइटेड बैंक	0	0.00	1	0.00	0	0.00	5	0.07	1	0.03	7	0
21	विजया बैंक	110	0.04	139	0.51	918	7	2396	35	2690	94	6253	137
	कुल राष्ट्रीयकृत बैंक	**63556**	**12.98**	**106346**	**363.43**	**279063**	**2107.3**	**503631**	**7315.68**	**619976**	**21921**	**1572572**	**31720**
22	सेंट्रल म.प्र.ग्रामीण बैंक	2773	0.82	8492	28.74	20214	152	33062	477	38918	1372	103459	2031
23	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	10637	2.38	47556	150.38	47139	335	32948	452	12032	324	150312	1263
24	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	7171	1.35	22357	73.04	39616	296	55883	802	48159	1520	173186	2693
	कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	**20581**	**4.555**	**78405**	**252.16**	**106969**	**783.71**	**121893**	**1731.7**	**99109**	**3215.2**	**426957**	**5987**
25	सहकारी बैंक*	266934	130.16	681585	1834.00	319927	2258	189220	2596	66645	1656	1524311	8474
	कुल सहकारी बैंक	**266934**	**130.2**	**681585**	**1834**	**319927**	**2258.1**	**189220**	**2596.19**	**66645**	**1656**	**1524311**	**8474**
	कुल योग	**351071**	**147.7**	**866336**	**2449.6**	**705959**	**5149.1**	**814744**	**11643.6**	**785730**	**26792**	**3523840**	**46182**

दो लाख रूपये तक बकाया कुल ऋण खातो (स्टैण्डर्ड) की संख्या- 27.38 लाख एवं राशि 19,390 करोड़

Annexure -8 बैंक वार फसल ऋण खाते-एन.पी.ए. (Slab Wise) दिनांक 31.03.2018 को

राशि करोड़ में

क्र.सं.	बैंक का नाम	1-10000		10001-50000		50001-1 लाख		100001-2 लाख		Above 2 लाख		कुल	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	इलाहाबाद बैंक	79	0.03	302	1.06	652	4.92	969	13.53	855	33.33	2857	53
2	आन्ध्र बैंक	0	0.00	0	0.00	1	0.01	1	0.02	32	1.42	34	1
3	बैंक ऑफ बड़ोदा	142	0.05	791	2.44	854	6.15	1117	16.41	2039	82.23	4943	107
4	बैंक ऑफ इंडिया	1483	0.41	1378	4.31	2862	21.73	5581	82.21	9433	390.19	20737	499
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1008	0.16	2254	7.60	3644	27.17	3956	57.10	3130	100.87	13992	193
6	कनारा बैंक	22	0.01	130	0.47	300	2.21	549	7.93	708	24.10	1709	35
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1044	0.23	2524	7.95	2716	19.74	2330	33.04	1549	79.82	10163	141
8	कार्पोरेशन बैंक	8	0.00	15	0.05	40	0.32	222	3.42	568	21.41	853	25
9	देना बैंक	20	0.01	56	0.21	171	1.30	394	5.91	753	30.94	1394	38
10	आई.डी.बी.आई. बैंक	1	0.00	8	0.03	59	0.47	168	2.48	305	11.61	541	15
11	इंडियन बैंक	6	0.00	23	0.08	80	0.59	119	1.72	132	4.46	360	7
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	0	0.00	5	0.02	11	0.08	26	0.37	67	2.34	109	3
13	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	12	0.00	68	0.25	349	2.62	623	9.03	1377	62.86	2429	75
14	पंजाब एवं सिंध बैंक	3	0.00	16	0.06	85	0.66	214	3.12	458	21.92	776	26
15	पंजाब नेशनल बैंक	2399	0.40	1070	3.42	2168	16.45	3140	45.32	3507	130.33	12284	196
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2806	1.46	19798	64.24	29562	216.04	32163	460.44	32681	1151.86	117010	1894
17	सिंडिकेट बैंक	26	0.01	180	0.61	398	3.03	585	8.29	778	27.59	1967	40
18	यूको बैंक	198	0.08	1040	3.33	1852	13.87	2546	36.76	3093	105.60	8729	160
19	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	192	0.09	1406	4.57	2288	16.79	2861	41.39	3566	134.78	10313	198
20	यूनाइटेड बैंक	0	0.00	0	0.00	1	0.01	2	0.02	11	0.49	14	1
21	विजया बैंक	8	0.00	25	0.09	46	0.35	78	1.14	129	4.97	286	7
	कुल राष्ट्रीयकृत बैंक	**9457**	**2.94**	**31089**	**100.79**	**48139**	**354.50**	**57644**	**829.66**	**65171**	**2423.13**	**211500**	**3711**
22	सेंट्रल म.प्र.ग्रामीण बैंक	531	0.25	2883	8.85	3357	24.38	3113	43.91	2742	93.28	12626	171
23	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	708	0.37	12825	43.69	22458	167.13	16336	221.11	5568	162.05	57895	594
24	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	735	0.27	1953	5.84	2380	17.58	2966	42.77	4094	148.81	12128	215
	कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	**1974**	**1**	**17661**	**58**	**28195**	**209**	**22415**	**308**	**12404**	**404**	**82649**	**980**
25	सहकारी बैंक*	321292	164.51	772006	2045.00	338728	2396	194097	2684	64520	1851	1690643	9141
	कुल सहकारी बैंक	**321292**	**164.5**	**772006**	**2045**	**338728**	**2396**	**194097**	**2684**	**64520**	**1851**	**1690643**	**9141**
	कुल योग	**332723**	**168**	**820756**	**2204**	**415062**	**2960**	**274156**	**3821**	**142095**	**4678**	**1984792**	**13832**

दो लाख रूपये तक बकाया कुल ऋण खातो (एन.पी.ए.) की संख्या- 18.43 लाख एवं राशि 9,154 करोड़